FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

रूंगाराम बनाम लोंगाराम वगैरा

क्रम मुकदमा 91/3/2016 धारा 111, 128 RLR Act नं. 47 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.2.17	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री. [illegible] ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जारये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 6/3/17 को पेश हो।	
06/03/17	प्रार्थी पक्षील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण लावजुद तामिल मनुप। प्रार्थी पक्षील द्वारा प्रार्थी के पेशे के दर्द में किये गये सीमाज्ञान की सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पीठासीन अधिकारी डिग्गी कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इत्तिला होकर आगामी दिनांक 03/04/17 को पेश हो।	
03/04/17	प्रार्थी पक्षील उपस्थित। विप्रार्थीगण मनुउपस्थित। प्रार्थी पक्षील द्वारा प्रार्थी के घातेडादी खेतों के दर्द में करवाये गये सीमाज्ञान की सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की गई। प्रार्थी के अधिवक्ता की एडपलीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की	

Scanned by CamScanner

प्रार्थी के अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के मेरबन्दी स्थापित करवाये जाने आवश्यक है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मेरबन्दी आवेदन को स्वीकार कीया जाकर मेरबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी ~~क~~ द्वारा प्रस्तुत मेरबन्दी राजस्व आवेदन को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बागरु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी यू. डी. सी. मौकाय निरीक्षण से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की मेरबन्दी मौके पर खुलवा जमाबन्दार करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली कमल शुमार हो, इन्द्र नम्बर से अंकित हो, दाखिल दफ्तर हो।

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक/वाद/2017/ 121 दिनांक :– 03/04/2017

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. खंगारांराम पुत्र सालगाराम जाति मेगवाल निवासी झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. लोंगाराम पुत्र सालगाराम वगैरा 4 निवासी झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 47/2017

आदेश

खसरा नम्बर 544/309 रकबा 22.00 बीघा मौजा झाक पटवार मण्डल झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर की भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनिस्थ भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा साथ ही अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)
(इरफान चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
दिनांक :– 03/04/2017

कमांक/वाद/2017/ 122 to 126
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी झाक को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रैकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री खंगाराराम पुत्र सालगाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री लोंगाराम पुत्र सालगाराम वगैरा 4।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु ।

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Scanned by CamScanner